

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —::संशोधन—आदेश::—

प्रधानाचार्य, राउमावि एवं प्रधानाध्यापक, रामावि के पक्ष में जारी आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था-एबी/ACP-ONLINE/A-2(II)/2020-21/129 दिनांक 19.10.2020 में क्र.स. 3 में अंकित कार्मिक के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

| No | NAME                     | DOB        | DESIGNATION            | PLACE OF POSTING (GSSS/GSS)                                       | App Id | आदेश दिनांक 19.10.2020 में अंकित है:-         | संशोधित पदा जावे                                            |
|----|--------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                        | 3          | 4                      | 5                                                                 | 6      | 6                                             | 7                                                           |
| 1  | ASHOK (RJJO198925006596) | 30-11-1963 | Principal & Equivalent | CHOUDHARY BUDHARAM GOVT. SR. SEC. SCHOOL, POPAWAS(219106) JODHPUR | 1617   | क्र.स. 3 में कॉलम 10 में 30.06.2020 अंकित है। | क्र.स. 3 में कॉलम सख्या 10 में 30.06.2019 संशोधित पदा जावे। |

शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 19.10.2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था-एबी/ACP-ONLINE/A-2(II)/2020-21/129 दिनांक:- 02.11.2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

1. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
5. सम्बन्धित, कार्मिक।
6. निजि पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—::संशोधन आदेश::—

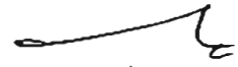
श्री देवन्द्र कुमार व्यास, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अगरपुरा, जिला बांसवाडा के पक्ष में जारी आशवासित केरियर प्रगति (एसीपी) आदेश क्रमांक शिविरा/मा/सस्था-एबी/A-2/ACP/2020-21/15 दिनांक 18.08.2020 में इनकी सेवा अवधि 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष संशोधित पढी जावें।

शेष शर्तें मूल आदेश दिनांक 18.08.2020 के अनुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/सस्था-एबी/A-2/ACP/देवन्द्र कुमार/2020-21/40 दिनांक:- 02.11.2020  
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
4. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
5. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
6. सम्बन्धित याचिकार्थी।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)